संख्या-49/2016/1687/38-4-16-14(विविध)/2016टीसी

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 28 नवम्बर-2016

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लक्षित ग्रामों के संतृप्तीकरण एवं लक्ष्यों के विभाजन के सम्बंध में।

महोदय,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-1348/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/05/लखनऊ दिनांक 16.11.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-31/2016/1050/38-4-16-14(विविध)/2016 टीसी दिनांक 17.08.2016 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामों को संतृप्त किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-42/2016/1449/38-4-16-14 (विविध)/2016 टीसी, दिनांक 08.11.2016 द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में आपसे हुये विचार-विमर्श के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सर्वप्रथम विकास खण्डवार लक्ष्यों का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा:-

विकास खण्डवार लक्ष्य हेतु

1.	अनुसूचित जाति का विकास खण्डवार लक्ष्य =	SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध कुल अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की संख्या / SECC-2011 के अनुसार जनपद में उपलब्ध अनुसूचित जाति के कुल पात्र परिवारों की संख्या	x जनपद का अनुसूचित जाति का लक्ष्य
2.	अनुसूचित जनजाति का विकास खण्डवार लक्ष्य =	SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों की संख्या / SECC-2011 के अनुसार जनपद में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों की संख्या	xजनपद का अनुसूचित जनजाति का लक्ष्य
3.	अल्पसंख्यक वर्ग का विकास खण्डवार लक्ष्य =	SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों की संख्या / SECC-2011 के अनुसार जनपद में उपलब्ध अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों की संख्या	x जनपद का अल्पसंख्यक वर्ग का लक्ष्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. सामान्य जाति का (अल्पसंख्यक छोड़कर) विकास खण्डवार लक्ष्य= SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध कुल सामान्य श्रेणी के (अल्पसंख्यक छोड़कर) पात्र परिवारों की संख्या / SECC-2011 के अनुसार जनपद में उपलब्ध सामान्य श्रेणी के (अल्पसंख्यक छोड़कर) पात्र परिवारों की संख्या x जनपद का सामान्य श्रेणी का लक्ष्य

3- उपर्युक्तानुसार विकास खण्डवार लक्ष्यों के विभाजन के उपरान्त सन्दर्भित शासनादेश 42/2016/1449/38-4-16-14 (विविध)/2016 टीसी, दिनांक 08.11.2016 के क्रम में ग्रामों को संतृप्त किये जाने हेतु लक्ष्यों का आवंटन ग्रामवार निम्नानुसार किया जायेगाः-

(1) सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अन्तर्गत फेज-1 एवं फेज-2 में चिन्हित 104 ग्राम।
(2) प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ओ0डी0एफ0 के अन्तर्गत चिन्हित 10 ग्राम।
(3) डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन RURBAN मिशन में चिन्हित क्लस्टर के ग्राम।
(4) DAY-NRLM के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्त नेटवर्क वाले चिन्हित प्रत्येक जनपद के 05-05 ग्राम।
(5) पोषण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित प्रत्येक जनपद के 10-10 ग्राम।
(6) आई-स्पर्श ग्रामों को भी संतृप्तीकरण हेतु सम्मिलित किया जाना।

4- उपर्युक्त क्रम सं0-(1) एवं (6) पर इंगित ग्रामों के नाम पूर्व से ही निर्धारित हैं, इस कारण इन ग्रामों को सर्वप्रथम शतप्रतिशत संतृप्त किया जायेगा। तदुपरान्त क्रम सं0-(2) से (5) तक में इंगित ग्रामों का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि विकास खण्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य की सीमा के अन्दर ग्रामों का संतृप्तीकरण हो सके। उपर्युक्त व्यवस्था से ग्रामों का संतृप्तीकरण किये जाने के उपरान्त विकास खण्ड के अवशेष लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के मध्य निम्नानुसार विभाजित किया जायेगा:-

<u>ग्राम पंचायतवार लक्ष्य हेतु</u>

1. अनुसूचित जाति का ग्राम पंचायतवार लक्ष्य = SECC-2011 के अनुसार ग्राम पंचायत में उपलब्ध कुल अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की संख्या / SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध अनुसूचित जाति के कुल पात्र परिवारों की संख्या में से संतृप्त ग्रामों में से पात्र परिवारों की संख्या घटाने के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों की संख्या X विकास खण्ड के लक्ष्य में से उपरोक्त प्रस्तर-3 के ग्रामों के संतृप्तीकरण के पश्चात अनुसूचित जाति का अवशेष लक्ष्य

2. अनुसूचित जनजाति का ग्राम पंचायतवार लक्ष्य = SECC-2011 के अनुसार ग्राम पंचायत में उपलब्ध कुल अनुसूचित जन जाति के पात्र परिवारों की संख्या / SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के कुल पात्र परिवारों की संख्या में से संतृप्त ग्रामों में से पात्र परिवारों की संख्या घटाने के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों की संख्या X विकास खण्ड के लक्ष्य में से उपरोक्त प्रस्तर-3 के ग्रामों के संतृप्तीकरण के पश्चात अनुसूचित जनजाति का लक्ष्य

http://shasanadesh.up.nic.in

3.	अल्पसंख्यक वर्ग का ग्राम पंचायतवार लक्ष्य=	SECC-2011 के अनुसार ग्राम पंचायत में उपलब्ध अल्पसंख्यक <u>वर्ग के पात्र परिवारों की संख्या</u> SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों की संख्या में से संतृप्त ग्रामों में से पात्र परिवारों की संख्या घटाने के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों की संख्या	X विकास खण्ड के लक्ष्य में से उपरोक्त प्रस्तर-3 के ग्रामों के संतृप्तीकरण के पश्चात अल्पसंख्यक वर्ग का लक्ष्य
4.	सामान्य जाति का (अल्पसंख्यक छोड़कर) ग्राम पंचायतवार लक्ष्य=	SECC-2011 के अनुसार ग्राम पंचायत में उपलब्ध कुल सामान्य श्रेणी के (अल्पसंख्यक छोड़कर) <u>पात्र परिवारों की संख्या</u> SECC-2011 के अनुसार विकास खण्ड में उपलब्ध कुल सामान्य श्रेणी के (अल्पसंख्यक छोड़कर) पात्र परिवारों की संख्या में से संतृप्त ग्रामों में से पात्र परिवारों की संख्या घटाने के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों की संख्या	X विकास खण्ड के लक्ष्य में से उपरोक्त प्रस्तर-3 के ग्रामों के संतृप्तीकरण के पश्चात सामान्य श्रेणी का लक्ष्य

5- कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु उपर्युक्तानुसार विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत-वार लक्ष्यों का निर्धारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6- कृपया इस सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक कार्ययोजना बनाकर लाभार्थियों को दिनांक 15.12.2016 तक प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 49/2016/1687(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, समाज कल्याण, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या- G-20011/01/2015-RH(A/C):-340279 दिनांक 28.06.2016 के संदर्भ में।
4- अनु सचिव, (श्री पी0 के0 सिंह) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र सं0-जे-12036/2/2016-आर0एच0(ए/सी)-यूपी दिनांक-14-09-2016 संदर्भ में।
5- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7-निदेशक, पंचायतीराज/सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
8-मिशन निदेशक, उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एल्डिको कार्पोरेट टांवर, गोमती नगर, लखनऊ।
9-निदेशक शयामा प्रसाद मुखर्जी, रर्बन मिशन/ पोषण मिशन, उ0 प्र0 लखनऊ।
10-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11-समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
12-समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13-नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
14-ग्राम्य विकास अनुभाग-2/5/6/7 एवं 9, उ0 प्र0 शासन।
15-समग्र ग्राम विकास अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in